

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELL]

फ.सं.2-31/2013-स्था.(भर्ती)  
F.No. 2-31/2013-Estt. (RCT) Vol-I

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29  
Ansari Nagar, New Delhi-29  
दिनांक/Date:

12 9 AUG 2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति ।

Subject: - Promotion to the post of Nursing Superintendent at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 28.05.2024 को परिचर्या अधीक्षक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित उप परिचर्या अधीक्षक, को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 के अंतर्गत परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है। उनकी संबंधित पोस्टिंग का स्थान नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Nursing Superintendent held on 28.05.2024 and its acceptance by the Competent Authority, the following Deputy Nursing Superintendent are promoted to the post of Nursing Superintendent in Level 11 of the Pay Matrix from the date they assume the charge of the post of Nursing Superintendent at their respective place of posting reflected in the table below.

Sl. No.	Name	Present Department/Centre	Place of posting
1.	Ms. Kushma Arya	Dr. BRAIRCH	Dr. BRAIRCH
2.	Ms. Sushila Birla (Nee Devi)	JPNATC	JPNATC
3.	Ms. Sudha P. Khankhane	CTC	NCI, Jhajjar

2. जिस अधिकारी की पदोन्नति एन सी आई झज्जर के निर्धारित पद पर हुई है, वह इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से एन सी आई झज्जर में 10 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करें, यदि वह निर्धारित समय के अंदर एन सी आई झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करती तो माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करती है। यदि, वह एन.सी.आई झज्जर के पद पर पदभार ग्रहण करने से मना करती हैं /असफल होती हैं तो परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी. ओ. पी. टी. के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

The incumbent promoted to the post of Nursing Superintendent against the post meant for NCI, Jhajjar are required to join the post of Nursing Superintendent at NCI, Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that she has denied her promotion. In case, if she refuses to join at NCI, Jhajjar, on promotion against the post created for NCI, Jhajjar, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order to be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly, as per DOP&T instruction on the subject she will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

3. संख्या नंबर 1 उनकी वरिष्ठता परिचर्या अधीक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात 28.05.2024 से प्रभावी होगी और संख्या नंबर 2 एवं 3 उनकी वरिष्ठता परिचर्या अधीक्षक के पद पर जोकि रिक्ति की तिथि से प्रभावी होगी अर्थात 01-07-2024

At Sl. No. 01 her seniority in the post of Nursing Superintendent will be effective from the date of Departmental Promotional Committee i.e.28.05.2024 and at Sl. No. 02 & 03 their seniority of the promoted officers will be effective from the date of availability of vacancies arise vacancy i.e 01.07.2024.

4. वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.डी.डी.टी.सी., गाजियाबाद/ एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में उनके स्तर के कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/ NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge of the post.

Contd.2/-





5. उन्हे यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22 (I) यदि लागू हो के अंतर्गत वास्तविक पदोन्नति की तारीख अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तारीख से तय करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें असंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे मैट्रिक्स लेवल -11 (पूर्व संशोधित पी. वी. -3-15600-39100+6600 ग्रेड पे) प्रदान नहीं किया जाएगा।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) if applicable either from the date of their actual promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted Level-11 in the pay Matrix (pre-revised PB- 3-15600-39100+6600 Grade pay) under ACP/MACP Scheme.

6. यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. (सी) नंबर 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस संबंध में डी. ओ. पी. टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।


This office order would be subject to outcome of the SLP (C) 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

7. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory service failing which her service will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

8. उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान के कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

  
[विश्वेश चतुर्वेदी/VISHWESH CHATURVEDI]  
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित अधिकारीगण

द्वारा: प्रशासन अधिकारी- सी.एन.सी./ डा.बी.आर. ए.आई.आर.सी. एच / एन. सी. आई झज्जर/ जे पी एन ए टी सी

Persons concerned

Through: Sr./ Administrative Officer-Dr. BRAIRCH, CNC, JPNATC & NCI, Jhajjar

Copy to:-

- 1) Chief-CTC, Dr, BRAIRCH & JPNATC
- 2) H.O.D- NCI, Jhajjar
- 3) मुख्य परिचर्या अधिकारी /Chief Nursing Officer-अस्पताल/Hospital
- 4) प्रशासनिक अधिकारी Sr./ Administrative Officer- CNC/ JPNATC/Dr. BRAIRCH/NCI, Jhajjar
- 5) लेखा अनुभाग/Account Section- CNC/ JPNATC/ Dr. BRAIRCH /NCI, Jhajjar
- 6) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/ सतर्कता प्रकोष्ठ  
General Section /Estate Section/Legal Cell /GPF Section /Vigilance Cell
- 7) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ/संरक्षण मिसिल  
ACR's Cell/SC/ST Cell
- 8) प्रोफेसर इंचार्ज,कंप्यूटर सुविधा- कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें Professor-in -charge  
Computer Facility - Kindly upload this office order at the institute's website.
- 9) Guard file